कार्यकारी सार

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 सीएजी को भारत की सम्मेकित निधि में देय प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने तथा यह संतुष्टि करने का अधिकार देती है कि राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा उचित आवंटन पर प्रभावी जांच करने के लिए नियम तथा प्रक्रियाएं बनाई गई है तथा उनका पूर्ण रूप से अनुसरण किया जा रहा है। हमने संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा आदि से संबंधित सेवा कर विभाग के कार्यों की जांच की तथा उन निर्धारितियों के अभिलेखों की जांच की जो यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित तंत्र की मौजूदा प्रभावकारिता की जांच करने हेतु कर संग्रहण का आधार बनाते है कि निर्धारिती स्व-निर्धारण के इस काल में मौजूदा नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन करते है। निर्धारितियों द्वारा विभागीय कार्यों तथा अनुपालन की नियमित लेखापरीक्षा के अलावा, इस वर्ष हमने वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा पर विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की।

इस प्रतिवेदन में ₹ 352.86 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले सेवा कर पर 196 लेखापरीक्षा आपत्तियां है। मंत्रालय/विभाग ने सितम्बर 2017 तक ₹ 205.26 करोड़ के राजस्व से जुडी 176 लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की थी तथा 116 मामलों में ₹ 100.07 करोड़ की वसूली सूचित की थी। कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियां तथा निष्कर्ष निम्नानुसार है:-

अध्याय । : सेवा कर प्रशासन

- वित्तीय वर्ष 2016-17 (वि‍व17) के दौरान सेवा कर राजस्व संग्रहण ₹ 2,54,499 करोड़ था और वि‍व17 में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 29.52 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 1.6)

- 31 मार्च 2017 तक ₹ 1,17,935 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले बकाये के मामले वसूली हेतु लंबित थे।

(पैराग्राफ 1.10)

- ₹ 1,22,008 करोड़ के राजस्व से जुडे मामले, वि.व 16 के अंत तक लंबित राशि पर 26 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुये, वि‍व17 में अपील में लंबित थे।

विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा शीघ्र निपटान करना सरकारी राजकोष में ₹ 1,22,008 करोड़ के संभाव्य राजस्व प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण है।

(पैराग्राफ 1.15)

- विभाग ने लेखापरीक्षा के लिये नियत इकाईयों के राजस्व आधारित चयन से लेखापरीक्षा कमिश्नरियों में उपलब्ध श्रमबल की फैक्टरिंग द्वारा जोखिम आधारित चयन में शिफ्ट किया। लेखापरीक्षा हेतु निर्धारितियों के चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन के बावजूद बड़ी और मध्यम इकाईयों में अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक की कमी थी।

(पैराग्राफ 1.17)

अध्याय II: वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा पर सेवा कर

वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा से प्राप्त सेवा कर राजस्व में वित्त13 में ₹ 880.09 करोड़ से वित्त16 में ₹ 1,950.08 करोड़ की वृद्धि हुई जो यह स्पष्ट करता है कि कोचिंग केन्द्रों का व्यापार प्रतिदिन व्यापक हो रहा है। पिछले तीन वर्षों में इस सेवा कर की औसत वार्षित विकास दर इस क्षेत्र के लिये संभावित विकास दर के अनुरूप नहीं थी। हमने सेवा कर से जुड़ी 117 कमिश्नरियों में से 18 चयनित कमिश्नरियों में इस क्षेत्र में एसएससीए किया। महत्वपूर्ण अवलोकन हैं:

- इस क्षेत्र के विकास की गति की तुलना में कर निर्धारण में वृद्धि के लिये विभाग द्वारा किये गये प्रयास अपर्याप्त थे और इसमें राजस्व हानि निहितार्थ थी जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा आयोजित स्वतंत्र जांच से स्पष्ट है।
    - विशेष सेल जिनके पास संभावित निर्धारितियों को पहचानने का अधिकार है, वो सभी चयनित कमिश्नियों में गैर-मौजूद/गैर-कार्यात्मक थे।

(पैराग्राफ 2.5.2)

    - लेखापरीक्षा ने 1,005 अपंजीकृत निर्धारितियों की पहचान की, जिसमें से 151 मामलों में, हम 6.11 करोड़ की सेवा कर देयता निर्धारित कर सके।

(पैराग्राफ 2.4)

- विवरणियों की संवीक्षा के संबंध में विभाग के निष्पादन में भी कमी थी।
  - 10 चयनित कमिश्नियों में, कुल देय विवरणियों में से 46.25 प्रतिशत विवरणियां इस क्षेत्र से संबंधित निर्धारितयों द्वारा फाइल नहीं किये गये थे लेकिन केवल पांच कमिश्नरियों में नॉन-फाइलर्स पर कार्रवाई की गई थी।

    (पैराग्राफ 2.6.1)
  - विभाग विव14 से विव16 की अवधि के दौरान समीक्षा और संशोधन (आरएंडसी) हेतु मार्क किये गये विवरणियों की 98 प्रतिशत में आरएंडसी करने में विफल रहा।

    (पैराग्राफ 2.6.3)
- लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारितियों के नमूना जांच अभिलेखों से पंजीकृत निर्धारितियों द्वारा सेवा कर के गैर/कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट के अनियमित लाभ, ब्याज का गैर/कम भुगतान आदि के 179 मामलों का पता चला। जिसमें ₹ 88.26 करोड़ का राजस्व शामिल था।

  (पैराग्राफ 2.4)

अध्याय III: नियमों तथा विनियमों का अननुपालन

- लेखापरीक्षा ने सेवा कर के गैर-भुगतान/कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ/उपयोग और लंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करने के मामले देखे जिसमें ₹ 92.61 करोड़ का वित्तीय प्रभाव शामिल था।

  (पैराग्राफ 3.1)

अध्याय IV: आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

- लेखापरीक्षा ने विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई संवीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा और जांच में कमियां, कारण बताओं नोटिस जारी करने में विलंब आदि देखा जिससे ₹ 165.88 करोड़ का वित्तीय प्रभाव हुआ।

  (पैराग्राफ 4.2)